| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>1. अपील डिक्री/टी0ए0/5296/2021/ हनुमनगढ<br>राजबहादुर सिंह बनाम जगसीर सिंह<br>2. अपील डिक्री/टी0ए0/6276/2021/ हनुमनगढ<br>बचन सिंह बनाम जगसीर सिंह<br>3. अपील डिक्री/टी0ए0/65/2022/ हनुमनगढ<br>राजबहादुर सिंह बनाम जगसीर सिंह | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 11.03.2022 | **खण्डपीठ**<br>**श्री रामनिवास जाट, सदस्य**<br>**श्री गणेश कुमार, सदस्य**<br><br>अपीलकर्ता पक्ष के अधिवक्ता श्री ओ0पी0मोदी व श्री हरदत्त सहारण उपस्थित। रेस्पो0/कैवियटकर्ता पक्ष के अधिवक्ता श्री आर.एस. बराड उपस्थित आये। उभयपक्ष के अधिवक्तागण ने जाहिर किया कि परीक्षण न्यायालय ने इस प्रकरण में मरे हुये व्यक्तियों के विरूद्व निर्णय पारित किये गये है। इसी प्रकार राजस्व अपील अधिकारी द्वारा भी उसी स्थिति में आदेश पारित किये गये है जो विधि के विरूद्व है। अतः उक्त विधिक कमी पूर्ती के लिये सभी अपील प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को प्रेषित किये जाने योग्य है। उभयपक्ष के अधिवक्तागण को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट पक्ष के अभिभाषक श्री ओ0पी0मोदी ने उक्त विधिक बिन्दुओं के संबंध में विधिक दृष्टांत भी प्रस्तुत किये जिनका अवलोकन किया गया।<br><br>उक्त तीनों अपील प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 11.10.21 व सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर के निर्णय दिनांक 07.9.20 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। अपील में वर्णित तथ्यात्मक व विधिक विवरण के अनुसार संबंधित वादी पक्षकारों द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर, संगरिया के समक्ष एक वाद बाबत घोषणात्मक, डिक्री खाता तकसीम व स्थाई निषेधाज्ञा का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। यह दावा न्यायालय जिला कलेक्टर, हनुमानगढ के आदेश से न्यायालय सहायक कलेक्टर, संगरिया से सहायक कलेक्टर, नोहर को स्थानांतरित किया गया था। इस दावे में न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर द्वारा दिनांक 07.09.20 को स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। परीक्षण न्यायालय नोहर द्वारा आदेश 20 नियम 5 सी0पी0सी0 के | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>1. अपील डिक्री/टी0ए0/5296/2021/ हनुमनगढ<br>राजबहादुर सिंह बनाम जगसीर सिंह<br>2. अपील डिक्री/टी0ए0/6276/2021/ हनुमनगढ<br>बचन सिंह बनाम जगसीर सिंह<br>3. अपील डिक्री/टी0ए0/65/2022/ हनुमनगढ<br>राजबहादुर सिंह बनाम जगसीर सिंह | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | आज्ञात्मक प्रावधानों के अनुसार तनकीवार निर्णय किया जाना अपेक्षित था जो तनकीवार निर्णय नहीं किया गया। यह विधि विरूद्ध निर्णय की श्रेणी में आता है।<br><br>इसके अतिरिक्त परीक्षण न्यायालय में वाद के विचाराधीन रहते हुये प्रतिवादीगण संख्या 10, 18, 23, 26, 30, 60, 61, 62, 65, 66, 102, 113, 123, 125, 127, 128, 130 का निधन हो चुका था। इन मृतक प्रतिवादियों के वारिसानो को रिकार्ड पर लेकर उन्हें सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरांत ही मूल दावे का गुणावगुण पर विधि अनुसार अंतिम निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। परन्तु परीक्षण न्यायालय द्वारा उक्तानुसार विधिक कार्यवाही नहीं की गयी जिससे उक्त निर्णय विधि विरूद्ध हैं। अपीलांट पक्ष द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत से भी उक्त विधिक स्थिति की पुष्टि होती है। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा भी उक्त विधिक स्थिति की पूर्णतया उपेक्षा करते हुये आदेश 41 नियम 21 सी0पी0सी0 के अनुसार अपेक्षित निर्णय नहीं किया गया।<br><br>अतः उक्त तथ्यात्मक व विधिक स्थिति के अनुसार यह तीनों अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों क्रमशः न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 11.10.21 व सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर का निर्णय दिनांक 07.9.20 अपास्त किये जाते है। मूल ही तीनों अपील प्रकरण परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोहर को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह मृतक पक्षकारों के सभी विधिक वारिसानों को रिकार्ड पर लेकर उनको सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः शीघ्रताशीघ्र तनकीवार विधिसंगत निर्णय पारित करे। सभी संबंधित पक्ष दिनांक ..... को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित होवें। वादी व प्रतिवादी पक्ष द्वारा मूल वाद प्रकरण में मृतक | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>1. अपील डिक्री/टी0ए0/5296/2021/ हनुमनगढ<br>राजबहादुर सिंह बनाम जगसीर सिंह<br>2. अपील डिक्री/टी0ए0/6276/2021/ हनुमनगढ<br>बचन सिंह बनाम जगसीर सिंह<br>3. अपील डिक्री/टी0ए0/65/2022/ हनुमनगढ<br>राजबहादुर सिंह बनाम जगसीर सिंह | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | पक्षकारों के विधिक वारिसान को नियमानुसार रिकार्ड पर लेने हेतु आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करवायी जावे। उक्त आदेश की प्रति तीनों संबंधित अपीलों की पत्रावली में संलग्न की जावे।<br>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>(गणेश कुमार)<br>सदस्य<br><br>(रामनिवास जाट)<br>सदस्य | |